तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद पत्र संख्या........ / ....उनवान........ बनाम........	
27/1/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 28/1/26 को पेश हो।	
28/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु । वास्ते बहस अन्तिम पत्रावली दिनांक 02/2/2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	
02/2/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 3/2/26 को पेश हो।	
03/2/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई। वास्ते अवलोकन एवं आदेश पत्रावली दिनांक 16/2/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	
16/2/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। वादी/वादग्रस्त [illegible] पत्रावली मे [illegible] किया गया अतिरिक्त [illegible] पत्रावली [illegible] गयी। पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 96/2015

मन्दिर श्री गोवर्धन जी महाराज जरिये स्वामी/आचार्य गोस्वामी श्याम मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विठ्ठलनाथ जी आयु 85 वर्ष निवासी नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर व 63 स्वास्तिक सोसायटी, विले पार्ला, मुम्बई (महाराष्ट्र) वादी

बनाम,

1. श्री गोपाल पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
2. श्री नोरत पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
3. श्री श्योराम पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
4. श्री शिवनारायण पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
5. श्री लालाराम पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
6. श्री राजू पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
7. श्री उगमा पुत्र हीरालाल थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
8. श्री श्योजी पुत्र हीरालाल थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील वादी श्री गोविन्द दास पुरोहित दिनांक :- 16/2/2026

संक्षेप में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा पेश कर निवेदन किया कि गौस्वामी श्याम मनोहर जी वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य का श्री बृजराज जी व श्री गोवर्धननाथ जी का मन्दिर नया शहर किशनगढ़ में स्थित है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी की दादी पूज्य श्रीमती प्रभावती बहूजी को किशनगढ़ राज्य द्वारा उक्त दोनो मन्दिर व उससे संलग्न कृषि भूमियां निजी भेंटस्वरूप दिनांक 14.7.1930 को प्रदान की गयी थी इस प्रकार कृषि भूमि भी गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पूर्वजों को निजी भेंटस्वरूप प्रदान की गयी थी, ग्राम गणेशपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 2, 7/1, 7/2, 35/1, 35/2 कुल रकबा 302 बीघा 17 बीस्वा, जो राजस्व रिकार्ड में श्री गोवर्धन जी महाराज के नाम सहवन से दर्ज हो गई। ग्राम ग्राम गणेशपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 2, 7/1, 7/2, 35/1, 35/2 कुल रकबा 302 बीघा 17 बीस्वा, भूमि एकमात्र वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है और वादी के पूर्वजों को उक्त वादग्रस्त भूमि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही तत्कालीन किशनगढ राज्य द्वारा निजी भेंट स्वरूप प्रदान करने के कारण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके है। गौस्वामी श्री श्याम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

मनोहर जी के पिता दीक्षित श्री बिट्ठलनाथ जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि ग्राम गणेशपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 2, 7/1, 7/2, 35/1, 35/2 कुल रकबा 302 बीघा 17 बीस्वा भूमि प्रतिवादीगण को कुछ वर्षों पूर्व काश्त हेतु संभलायी थी और प्रतिवादीगण ने ऊपज का हिस्सा गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पिता श्री को अदा किया था। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पिता के देवलोकगमन के बाद प्रतिवादीगण ने वर्ष 1990 तक वादी को वादग्रस्त भूमि की करीब 24 वर्षों से कृषि उपज का हिस्सा वादी को नियमानुसार अदा नहीं कर रहें है। वादी के अधिकारी ने प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से आग्रह किया कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि की ऊपज का हिस्सा नियमानुसार अदा करते रहे, परन्तु प्रतिवादी के आश्वासन के बाद भी कृषि ऊपज का हिस्सा जमा नहीं कराया है। प्रतिवादीगण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी की सहमति / अनुमति से ही वादग्रस्त भूमि को काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा पिछले करीब 24 वर्षों से अदा नहीं कर रहे है जो इस कारण वादी प्रतिवादीगण की फसल काश्त करने की सहमति/अनुमति को निरस्त करना चाहते है और वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहते है। वादी ने अपने अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 11.06.2015 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र वादग्रस्त भूमि का कब्जा संभलाने व पिछले 24 वर्षों का कृषि ऊपज का हिस्सा अदा करने बाबत प्रेषित किया जो प्रतिवादीगण को नियमानुसार प्राप्त हो गया लेकिन प्रतिवादीगण ने उसे जानबूझकर लेने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण ने वादी सूचना पत्र की प्राप्ति के बाद सूचना पत्र में वर्णित अवधि के भीतर वादी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं संभलाया और न ही पिछले 24 वर्षों की ऊपज का हिस्सा अदा नहीं किया इस कारण प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 11.06.2015 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा संभलाने बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया तब और प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद उसका गलत तथ्यों के आधार पर जवाब दिया और सूचना पत्र में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद दिनांक 02.07.2015 को उत्पन्न हुआ और उसके बाद दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है। वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम गणेशपुरा के खसरा संख्या 7/1, 7/2 कुल किता 02 कुल रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे. इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बादी को प्रतिवादीगण से पिछले 24 वर्षों का वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा दिलाया जावे इस प्रभाव की डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

वाद का वाद दिनांक 01.09.2015 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 08.12.2015 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 08.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 07.01.2016 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा वादी की साक्ष्य ली गई एवं प्रदर्श अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है प्रदर्श 01 अधिकार पत्र, प्रदर्श 02 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 95, प्रदर्श 03 रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिनांक 11.06.2015, प्रदर्श 04 से 11 रजि. डाक की रसीदें, प्रदर्श 13 से 15 मूल लिफाफा।

दिनांक 21.10.2019 को वकील वादी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 18.03.2020 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे दिनांक 06.11.2024 को स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 03.02.2026 वकील वादी की वाद पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम गणेशपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 7/1, 7/2 कुल किता 02 कुल रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे. इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण से पिछले 24 वर्षों का वादग्रस्त भूमि की ऊषज का हिस्सा दिलाया जावे इस प्रभाव की डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया , पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य एवं प्रदर्श का अवलोकन किया गया। वाद में वादी द्वारा तहसीलदार किशनगढ को पक्षकार नहीं बनया गया है जबकि तहसीलदार किशनगढ भूमिधारी है किन्तु वादग्रस्त भूमि मंन्दिर भूमि होने तथा उक्त त्रुटि तकनीकी त्रुटि होने के कारण मंदिर भूमि के हितो के मध्यनजर वादी की भूल को क्षम्य किया जाता है। हस्तगत वाद, वादी द्वारा जरिये अभिकर्ता भूमि प्रदर्श 02 ग्राम गणेशपुरा के खसरा संख्या 7/1, 7/2 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध भौतिक कब्जा दिलवाने बाबत एवं उपज का हिस्सा दिलवाने बाबत पेश किया गया है, जबकि प्रदर्श 02 ग्राम गणेशपुरा खाता संख्या 95 खसरा संख्या 7/1, 7/2 कुल किता 02 कुल रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा भूमि श्री गोरधन जी महाराज सा. किशनगढ के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मंदिर भूमि है। उक्त भूमि पर पर वादी वर्तमान में खातेदार नहीं है, किन्तु उक्त भूमि वर्तमान में मन्दिर के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मन्दिर भूमि है जिसमें न्यायालय हाजा से दिनांक 24.06.2025 को तहसीलदार किशनगढ को रिसीवरी आदेश जारी किये जा चुकें है, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। हमारे द्वारा उक्त परिपत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया। उक्त परिपत्रों के अध्ययन एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मन्दिर भूमि के संबंध में पारित आदेशों के मनन के उपरान्त न्यायालय हाजा वादी के वाद को आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः वादी का वाद मन्दिर भूमि के हितों के दृष्टिगत रखते हुये आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि पूर्व में जारी रिसीवरी आदेश दिनांक 24.06.2025 की पालना करते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 7/1, 7/2 कुल किता 02 रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा में मंदिर भूमि के संरक्षक के तौर पर रहेंगें तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 की अनुसरण में निर्धारित प्रारूप में पंजिका तहसील स्तर पर संधारित्र करेगें तथा उक्त पंजिका में पुजारी का नाम अंकन कर पंजिका का संधारण व संचालन करेगें। तारा बनाम सरकार (15.07.2015 राज.उच्च न्यायालय जोधपुर) तथा राजस्थान सरकासर के द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का संरक्षण राजकीय भूमि की भांति किया जावे। वादग्रस्त भूमि पर पुजारी का स्वामित्व नहीं होगा, परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसार पुजारी वादग्रस्त भूमि के कृषि कार्य हेतु विकास के कार्य तहसीलदार के पर्यवेक्षण में कर सकेंगें जिसका इन्द्राज पूर्व निर्धारित पंजिका में किया जायेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16/2/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)